# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,राजसमंद
**(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यासित)**
**अपील आर्म्स संख्याः 02/2018**
**दायर दिनांकः 21.12.2018**
**निर्णय दिनांक 19.08.2019**

—:अनवानः—

श्री कालुराम पिता भुवाना जटिया निवासी नया दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

**अपीलांट**

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा जिला राजसमंद राजस्थान

**रेस्पोण्डेंट**

**आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 आर्म्स अपील**

---

**उपस्थितः—**

1— श्री उदयलाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा के द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा—पत्र संख्या 63/1995 जो कि दिनांकः 31.12.2016 तक नवीनीकृत था उसके बाद अपीलांट द्वारा आगामी अवधि दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया किन्तु अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाकर आदेश क्रमांकः आर्म्स/2017/1046 दिनांकः 28.06.2017 से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट्स को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम उभयपक्ष की दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का होकर कानून की जानकारी नहीं रखता हैं। अतः विलम्बित अवधि को कण्डोन की जाकर अपीलांट की अपील को मयाद में शुमार करानें का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने इस कथन के समर्थन में अपीलांट का शपथ—पत्र पेश किया गया। पेरोकार सरकार की ओर से इस हेतु कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में न्यायहित में विलम्बित अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि में शुमार की जाती हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 63/1995 दो नाल देशी टोपीदार बंदुक का होकर दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकरण था । अनुज्ञा पत्र शस्त्र लाईसेन्स को आगामी अवधि दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक नवीनीकरण के संबंध मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था उस अवधि में अपीलांट की माता को पेरेलेस होने से नहीं कर पाया। अपीलांट की माता जी को पेरेलेस होने से आवारीमाता जी गये थे अन्त मे दिनांक 05.08.2018 को अपीलांट की माता जी का निधन हो गया। इसके बाद अप्रेल 2017 मे थानाधिकारी अपीलांट के घर आये एवं दो नाल टोपीदार बंदुक को जब्त कर उसी समय थानाधिकारी रेलमगरा की आदेश की पालना में जमा करवा दी गयी। अपीलांट को पता चलने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा मे सम्पर्क किया तो उन्हे बताया गया कि हमने दिनांक 10.02.2017 को एक पत्र निकाला जिसमें आपके द्वारा नवीनीकरण सूचना पत्र क्रमांक आर्म्स नवीनीकरण/2017/324 दिनांक 10.02.2017 को आपको दिया है । जिस पर अपीलांट ने कहा की मूझे ऐसा कोई आदेश नहीं जमा नहीं एवं अपीलांट का शस्त्र दो नाली बन्दुक भी थाने मे जमा करवा दिया गया है। जिस पर अपीलांट ने 100/–रूपये के स्टाम्प पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा को शस्त्र नवीनीकरण बाबत पुनः अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र 63/1995 के निस्तीरकरण आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.01.2018 को आवेदन किया गया । जिसकी प्रति 22.11.2018 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा द्वारा सम्पर्क करने पर आदेश क्रमांक आर्म्स/2017/1046 की प्रति दी गयी। जिसमे अपीलांट का शस्त्र निरस्त करने का आदेश दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में अनुरोध हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस सं0 63/1995 जो कि दिनांकः 31.12.2019 तक नवीनीकृत था, के आगे नवीनीकरण करने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने के आधार पर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस को निरस्त किये जाने हेतु पारित आदेश न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य हैं।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इसमें संलग्न अपीलांट के लाईसेंस के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस स्वयं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा के द्वारा दिनांकः 31.12.2016 तक के लिए नवीनीकरण किया गया था अनुज्ञा पत्र शस्त्र लाईसेन्स को आगामी अवधि दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक नवीनीकरण के संबंध मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था उस अवधि में अपीलांट की माता को पेरेलेस होने से नहीं कर पाया। अपीलांट की माता जी को पेरेलेस होने से आवारीमाता जी गये थे अन्त मे दिनांक 05.08.2018 को अपीलांट की माता जी का निधन हो गया। इसके बाद अप्रेल 2017 मे थानाधिकारी अपीलांट के घर आये एवं दो नाल टोपीदार बंदुक को जब्त कर उसी समय थानाधिकारी रेलमगरा की आदेश की पालना में जमा करवा दी गयी। जिस पर अपीलांट ने 100/–रूपये के स्टाम्प पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा को शस्त्र नवीनीकरण बाबत पुनः अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र 63/1995 के निस्तीरकरण आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.01.2018 को आवेदन किया गया । जिसकी प्रति 22.11.2018 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा द्वारा सम्पर्क करने पर आदेश क्रमांक आर्म्स/2017/1046 की प्रति दी गयी। जिसमे अपीलांट का

शस्त्र निरस्त करने का आदेश दिया गया। परिणाम स्वरुप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 63/95 का नवीनीकरण नहीं कर उक्त लाईसेंस को निरस्त किये जाने सम्बंधी पारित आदेश दिनांकः 28.06.2017 न्यायोचित नहीं होना पाया जाता हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होना प्रकट हैं।

**::आदेश::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 28.06.2017 को अपास्त किया जाता हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट को सुना जाकर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 63/95 का नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद